न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 123/2017 वाद
GCMS No. – 2017/00268

1. देवकिशन पिता मांगीलाल जटिया निवासी रसुलपुरा हा०मु० सांकरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

..वादी

बनाम

1. मोहनलाल पिता जीतु अहीर निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

2. मदनलाल पिता जीतु अहीर निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

..प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मोजा रसुलपुरा पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। जिसके आराजी नं0 798 रकबा 0.9100 हैक्टयर , गे०मु० (जिसमें से 0.05 हैक्टयर रास्ता) आराजी नं0 799 रकबा 0.04 हैक्टयर आराजी नं0 877 रकबा 0.0900 हैक्टयर , आराजी नं० 878 रकबा 0.433 है0 है। कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 हैक्टयर भूमि स्थित है।

2. वादी की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही होते हुए भी प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजियात वाद पत्र की कलम नं0 1 में वर्णित आराजियात पर कब्जा करना चाहते है व इसी उद्देश्य से दिनांक 15.03.2017 को जब वादी अपनी आराजियात पर बोई हुई फसल की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के वादी की आराजियात में जबरन प्रवेश कर वादी को उसकी आराजियात से बेदखल करने के लिये लड़ाई झगडा करने लगे। इस पर वादी चिल्लाए तो वक्त मौका गवाहान ने समझाया तब प्रतिवादीगण कहने लगे कि वह तो वादी की आराजियात को अपने नाम पर करवा कर रहेंगे व आराजियात पर जबरन कब्जा कर वादी का धन बल की ताकत से वादी को बेदखल करके रहेंगे जिससे प्रतिवादीगण को निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की पाबंद करवाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि वर्णित आराजियात पर वादी को आने–जाने, फसल बोन, फसल काटने, लाने, ले जाने, ट्रेक्टर, बैल गाड़ी व कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने में

एवं उसके उपयोग उपभोग करने में प्रतिवादीगण ना तो स्वयं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावें ना ही वादी की खातेदारी की आराजियात पर जबरन कब्जा प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी ऐजेन्ट से करावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण अपने प्रयास में सफल होकर वादी की उपरोक्त आराजियात पर जबरन कब्जा कर लेवे तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण से पुनः कब्जा वादी को दिलाया जावे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया। कुछ पेशी बाद प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश नहीं होने से प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 ग्राम रसूलपुरा पटवार हल्का फाचर अहीरान जिसके आराजी नम्बर 798 रकबा 0.9100 हैक्टेयर,गे0मु0,आराजी नम्बर 779 रकबा 0.04 है0,अराजी नम्बर 877 रकबा 0.0900 हैक्टेयर आराजी नम्बर 878 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है जिसका कोई विधिक आधार प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से भी वादी के कथनों को बल मिलता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

6. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि वाके मोजा रसुलपुरा पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। जिसके आराजी नं0 798 रकबा 0.9100 हैक्टयर , गे०मु० (जिसमें से 0.05 हैक्टयर रास्ता) आराजी नं0 799 रकबा 0.04 हैक्टयर आराजी नं0 877 रकबा 0.0900 हैक्टयर , आराजी नं० 878 रकबा 0.433 हैक्टयर भूमि में वादी को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें तथा प्रतिवादीगण जबरन कब्जा न करें ना ही अपने किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 123/2017 वाद
GCMS No. – 2017/00268

1. देवकिशन पिता मांगीलाल जी जाति जटिया उम्र 35 वर्ष निवासी रसुल पुरा हा०मु० सांकरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

..वादी

बनाम

1. मोहनलाल पिता जीतु जी जाति अहीर उम्र 50 वर्ष निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्वाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

2. मदनलाल पिता जीतु जी अहीर उम्र 45 वर्ष निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्वाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

..प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि वाके मोजा रसुलपुरा पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। जिसके आराजी नं0 798 रकबा 0.9100 हैक्टयर,गे०मु० (जिसमें से 0.05 हैक्टयर रास्ता) आराजी नं0 799 रकवा 0.04 हैक्टयर आराजी नं0 877 रकबा 0.0900 हैक्टयर, आराजी नं० 878 रकबा 0.433 हैक्टयर भूमि में वादी को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें तथा प्रतिवादीगण जबरन कब्जा न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी अन्य से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

यह आज दिनांक 20.12.2023 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:45:44 IST
Reason: SelfAttested

20/12/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)